

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 07, मई 2005

आदेश

क्रमांक 504/600/2005/स्था/चार-संस्थागत वित्त संचालनालय के आदेश क्र. 143/संविसं/ई.ए.पी./05 दिनांक 31 मार्च 2005 की कण्डिका 9 में उल्लेख किया गया है कि बाह्य सहायता प्राप्त किये जाने वाली परियोजना की समीक्षा त्रैमासिक रूप से इस हेतु गठित समिति द्वारा की जायेगी।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा "बाह्य सहायता परियोजना पुनरीक्षण समिति" का गठन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार करता है :-

- | | | |
|--------------------------------|---|------------|
| (1) सचिव, वित्त विभाग | - | अध्यक्ष |
| (2) सचिव, संबंधित विभाग | - | सदस्य |
| (3) संचालक, संस्थागत वित्त | - | सदस्य |
| (4) संबंधित परियोजना संचालक | - | सदस्य |
| (5) अपर संचालक, संस्थागत वित्त | - | सदस्य सचिव |

2. उपर्युक्त समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में बाह्य सहायता परियोजनाओं के संबंध में पुनरीक्षण किया जावेगा।

3. इस आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

पृ. क्रमांक 505/600/2005/स्था/चार
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 07 मई, 2005

- (1) शासन के समस्त विभाग
- (2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
- (3) संचालक, संस्थागत वित्त, मंत्रालय, रायपुर
- (4) अपर संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय, मंत्रालय, रायपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग